APPENDIX – XII

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. LSG/BUNDI/FIRENOC/2025-26/66681

Dated: 02/07/2026

Certified that the **Delphi Premier School** (name of the building or premises) at **NH 52, Opposite Reliance Petrol Pump, Adjacent to Krishi UpNideshak Kendra, Gram :- Chattarpura, Bundi, Rajasthan** (address) comprised of ..... basement(s) and **G+2** (upper floors) owned/ occupied by **GURU NANAK DEV EDUCATION AND WELFARE SOCIETY BUNDI** (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on **4/5/2026** (date of inspection) in the presence of **DR KULJEET KAUR** (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/ premises is fit for occupancy upto classes **BAL VATIKA TO XII** (X/ XII) With effect from **02/07/2026** for a period of **03** Year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

1.
2.
3.
4.

Issued on **02/07/2026** (date of issue) at **BUNDI** (place) by

*Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal: .....

Name : Brijesh Rai

Designation : DC/EO/Commissioner.

Name & Address of Department/ Office:
Nagar Parishad, Bundi-Raj.

To,

Delphi Premier School
NH 52, Opposite Reliance Petrol Pump,
Adjacent to Krishi UpNideshak Kendra,
Gram :- Chattarpura, Bundi, Rajasthan

Dr Kuljeet Kaur
Principal
Delphi Premier School
Bundi (Raj.)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to

.....

(reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

सचिव
गुरूनानक देव एज्युकेशन एण्ड
ह्युमन वेलफेयर सोसायटी बून्दी
जिला बून्दी (राज0)

*** The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.**

नगर परिषद, बूंदी

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/BUNDI/FIRENOC/2025-26/66681

जारी दिनांकः 02-JUL-2026 वैधता दिनांकः 01-JUL-2028

प्रेषित–

आवेदक का नाम श्री/श्रीमतीः RASINDER PAL SINGH

आवेदक का पताः 4-C-2, JAWAHAR NAGAR, HOUSING BOARD, BUNDI

विषयः– अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन **DELPHI PREMIER SCHOOL, NH 52, OPPOSITE RELIANCE PETROL PUMP SILORE CHAURAHA, ADJACENT KRISHI UPNIDESK KENDRA, BUNDI, BUNDI, RAJASTHAN** का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तो पर पाबंद करते हुए यह **अस्थाई** (Temporary) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तेः–

1. उक्त फायर अनापति प्रमाण पत्र जारी दिनांक से वैधता दिनांक तक ही मान्य होगा। यदि निर्माण कार्य/अग्निशमन प्रावधान (फायर सिस्टम) स्थापित करवाये जाने का कार्य समयावधि में पूर्ण नही होता है तो पुनः नवीनीकरण करवाया जाना आवयक होगा। वैधता दिनांक के बाद एनओसी स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
2. आवेदित भवन/ईमारत का निर्माण स्वीकृति के अनुसार प्रचलित नियमो के तहत करवाया जाना होगा।
3. भवन/ईमारत में भवन की प्रकृति के अनुरूप फायर हाइड्रेण्ट, वेट–राइजर सिस्टम मय होज रील,होज–पाइप आपातकालीन निकास द्वारा (फायर एस्केप) हीट एंव बीम डिटेक्टर्स,सीओ2, फ्लूडिंग सिस्टम, फायर सेपरोन सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम,पम्प रूम, स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म सिस्टम, ओवर हेड एंड अण्डर ग्राउण्ड रिजर्व वाटर टैंक मोड्यूलर, पोर्टेबल फायर एक्सटिग्यूशर आदि नेशनल बिल्डिंग कोड (4) इण्डिया के अनुसार स्थापित किये जाने होगे।
4. बहुमंजिला भवनो में अग्निशमन वाहनो के संचालन हेतु न्यूनतम 3.60 मीटर चौडा सुरक्षित गलियारा भवन के चारो और बिना अवरोध छोडा जाना अनिवार्य होगा। गलियारो में किसी भी प्रकार की पार्किंग/अस्थाई निर्माण आदि अनुज्ञेय नही होगा एंव यदि 4.50 मीटर चौडा रेम्प प्रवेश व पीछे सेटबैंक में बनाया जाता है जो कि किसी भी तरह से अवरूद्ध हुआ ना हो एंव प्रवेश व बाहर (एंटी/एक्जिट) जाने हेतु बिना अवरोध उपलब्ध हो तो उसे अग्निशमन वाहन के आवागमन हेतु गलियारा माना जा सकता है।
5. भवन/परिसर की उचाई आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र व प्रस्तुत मानचित्र (आकिटेक प्रमाणित द्वारा वर्तमान में निर्मित या प्रस्तावित या पालिका/परिषद/निगम/रीको/संबंधित निकाय/विभाग) से स्वीकृत नक्शे में अकितानुसार मानी जायेगी।
6. अस्थाई एनओसी हेतु स्वीकृत नक्शे में वर्णित आवेदित स्थल का भूमि/फ्लेट रहवासी संबंधी कोई प्रकरण विचाराधीन/विवादित है तो इसके लिये आवेदनकर्ता स्वंय ही उत्तरदायी होगा इस सम्बन्ध में इस विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
7. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविश्य में कोई नियम/उपनियम जारी किये जाते है तो आवेदनकर्ता/संचालक/व्यवस्थापक द्वारा मान्य होगे।
8. आवेदक का फायर एनओसी शुल्क तथा फायर सेस एंव अग्निशमन से सम्बन्धित अन्य कोई शुल्क यदि बकाया रहता है तो राज्य सरकार के द्वारा जारी समय–समय पर परिपत्र अनुसार गणना की जाकर नियमानुसार शुल्क जमा कराया जाना होगा। इसके अभाव में यह अस्थाई एनओसी निरस्त मानी जावेगी।
9. उक्त भवन/परिसर में बैसमेंट के निर्माण हेतु स्वीकृति संबंधित नगर परिषद बून्दी से लिया जाना आवश्यक है। स्वीकृत बैसमेंट में केवल मानव रहित कार्य/गतिविधिया संचालित की जायेगी लाईब्रेरी/मैस कम्प्यूटर लैब/कैफे/अन्य व्यावसायिक गतिविधिया संचालित नही की जावेगी।
10. उक्त भवन/परिसर के अंदर ट्रांसफार्मर नही रखा जावेगा। यदि भवन में सुरक्षित स्थान पर ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाता है तो उसकी स्वीकृती जेवीवीएनएल या संबधित विभाग से प्राप्त करनी होगी।

सचिव
गुरूनानक देव एज्युकेशन एण्ड
हुमन वेलफेयर सोसायटी बून्दी
जिला बून्दी (राज0)

Principal
Delphi Premier School
Bundi (Raj.)

अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, बूंदी

नगर परिषद, बूंदी

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

11. फायर प्रिवेन्शन फायर प्रोटेक्शन हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन में जो उपकरण लगाये जावे व व्यवस्था की जाये इस हेतु पुनः आवेदन कर नियमानुसार मौका निरीक्षण पश्चात स्थाई एनओसी जारी होने के बाद ही भवन का उपयोग लिया जा सकेगा। उक्त की पालना नही करने पर भूखण्ड मालिक/आवेदक अस्थाई एनओसी प्राप्तकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु नगर परिषद स्वतंत्र रहेगा।

सचिव
गुरूनानक देव एज्युकेशन एण्ड
ह्युमन वेलफेयर सोसायटी
जिला बून्दी (राज.)

Principal
Delphi Premier School
Bundi (Raj.)

अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, बूंदी